International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746; Impact Factor: RJIF 5.34
Received: 24-05-2019; Accepted: 29-06-2019
www.alleducationjournal.com
Volume 4; Issue 4; July 2019; Page No. 74-78

घरेलू हिंसा के संदर्भ में भारतीय संविधान और न्यायपालिका की पहल: समीक्षा शोध पत्र

स्वाती श्रीवास्तवा [1], रजनी श्रीवास्तव [2]
[1-2] महिला अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
भारतीय समाज मे महिलाओं के साथ दिन-प्रतिदिन हिंसा बढ़ती चली जा रही है, जिनमे किसी महिला के साथ परिवार के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा जैसे मारपीट शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, दहेज के लिए मारपीट करना तथा इसके लिए उसकी हत्या कर देना महिलाओं के प्रति हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि महिलाओ की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान बनाए गए ताकि महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली हिंसा के रोकथाम के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। महिला के संरक्षण के लिए संविधान मे बदलाव सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक है लेकिन उसके स्थायी विकास के लिए सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक ढांचे का सुनिश्चित होना भी अतिआवश्यक है। वर्ष 2005 में निर्मित महिला संरक्षण अधिनियम महिला संबंधी कानूनों और महिला जागरुकता का एक अद्भुत परिणाम है। जिसके कारण आज घरेलू हिंसा के सभी प्ररूपों को समाज मे बढ़ चढ़ कर सशक्तिकरण के साथ सामने लाया जा रहा है यह विधेयक 8 मार्च वर्ष 2002 को भारत सरकार के स्त्री एवं बालक तथा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधेयक का पारित किया गया रूप है। यह शोधपत्र "घरेलू हिंसा अधिनियम 2005" के मुख्य बिन्दुओ पर आधारित है, जिसमें प्रमुख रूप से अधिनियम के उद्देश्य, पृष्ठभूमि, अभिप्राय एवं प्रावधान, सबल और निर्बल पक्ष हिंसा का स्वरूप तथा विविध आयाम बिंदुओ पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त इस शोधपत्र मे घरेलू हिंसा के चार मुख्य प्रकार जिनमे शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा के संक्षिप्त और मूल उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है। इस शोध पत्र में संविधान और न्यायपालिका की भूमिका का जमीनी स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है, जिसमे सामाजिक गतिशीलता और संस्कृति के अंतरसंबंध को भी दर्शाया गया है। अभी का तीन तलाक पर बना कानून इसका साक्षय है।

मूल शब्द : घरेलू हिंसा, संविधान, महिला संरक्षण, न्यायपालिका, हिंसा अधिनियम 2005

1. प्रस्तावना

1.1 हिंसा का स्वरूप तथा विविध आयाम

महिलाओं पर हिंसा किसी पुरुष एवं स्त्री के मध्य ऐसे ऐतिहासिक असमान शक्ति प्रदर्शन के रिश्ते को भी व्यक्त करता है जो महिला पर पुरुष द्वारा शासन करना, उनसे भेद-भाव करना एवं उनकी उन्नति की राह पर रुकावट पैदा करने की ओर अग्रसर होता है। महिलाओ पर हिंसा सदियों से होता आ रहा है, रीति रिवाजों, धर्म, बाल-विवाह, इत्यादि हिंसा का शिकार होना पड़ता है। [1] स्त्री हमारे समाज एवं परिवार की नीव होती है अर्थात वो जो भविष्य की पीढ़ियों को जन्म देती है और हमें मजबूत बनाती है तथा हमारे परम्पराओं को आगे बढाती है परंतु आज हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि अत्याधुनिक युग, जैसे विज्ञान तथा तकनीकी होते हुए भी एक महिला के साथ इस समाज में अनेक प्रकार अन्याय होता है, चाहे वो किसी उम्र धर्म एवं जाति की हो, किसी भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रकार की हो पर हर महिला को किसी न किसी तरह हिंसा का सामना करना पड़ता है। [2] हमारे भारतीय समाज मे महिलाओं का बहिष्कार एवं अपमान करना एक सामान्य बात हो गयी है। महिलाओं द्वारा ही इन सबको शांत रहकर सहना ही पुरुष प्रधानता को बढ़ावा देता है। समाज मे पुरुषों को यह अधिकार एवं निरंकुश स्वभाव को और भी बेहतर बना देती है। भारत का लगभग अधिकांश घर हिंसा से प्रभावित है जहाँ पर स्त्री चाहे बेटी हो चाहे वो बहू हो या बीवी हो शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से इसका सामना करती है। [5] हिंसा एक ऐसी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कुप्रथा है जिसे मनुष्य अपनी पत्नी, साथी या परिवार के किसी अन्य सदस्य पर करता है [1] ।वर्ष 2018 के वैश्विक समीक्षा के प्रस्तुत आकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग 35% महिलाएं या तो शारीरिक या तो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं जो कि अपने साथी या अपने किसी अन्य द्वारा हिंसा किया गया है। 8 February 2018, 9:41 AM IST के शेख सालीक़, News18.com के एक सर्वेक्षण के अनुसार- 27% महिलाएँ 15 वर्ष की उम्र से ही शारीरिक हिंसा की शिकार होते आयी हैं। शारीरिक हिंसा का प्रकोप सभी महिलाओं की तुलना मे ग्रामीण महिलाओं को अत्यधिक सहना पड़ा है। घरेलू हिंसा के मामले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों क्रमशः 29% एवं 23% दर्ज हुए हैं। [7] यही कारण है कि भारत मे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की (एनसीआरबी) रिपोर्ट के मुताबित 2016 में देश में 3 लाख 38 हजार 954 महिला हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं जहां उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है इन अपराधों में अपहरण, दहेज हत्या, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अपराध शामिल है। [8]

विभिन्न समाज सुधारकों एवं विचारकों ने यह स्पष्ट किया है कि हर शोषण के पीछे आर्थिक करणों का उतना ही प्रबल हाथ होता है जितना सामाजिक और पारंपरिक करणों का। नारी सदियों से हो रहे अत्याचारों के मूल मे नारी को बंधक बनाने वाले कारणो में मुख्य कारण उसकी आर्थिक पराधीनता रही है, परिणामस्वरूप उसकी बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो गया है और वह पूरी तरह से पुरुष पर आश्रित हो गयी है। पीड़ित अध्ययन शास्त्र के अनुसार कुछ अपराधो मे पीड़ित भी स्वयं जिम्मेदार होती हैं अतः महिलाओ के विरुद्ध हिंसा के मामलों में आधुनिक जीवन शैली का भी अपना योगदान रहा है। [3]

- आकड़े दर्शाते है कि भारत में प्रतिदिन बलात्कार के 41 मामले दर्ज होते हैं, 19 महिलाओं की दहेज मृत्यु होती है, 31 का अपहरण होता है, 113 यौन उत्पीड़न की शिकार होती है, और 84 महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार-(NCRB)

पिछले 2 साल मे हुए अपराध के जो आकडे जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़ों के मुताबित 2016 मे कुल 48 लाख 31 हजार 515 अपराध दर्ज किए हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़ों के मुताबित 2016 मे देश में 3 लाख 38 हजार 954 महिला हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश मे 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की लिंगानुपात 908 (प्रति हजार पुरुष पर महिलाएँ) हैं। जबकि वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की लिंगानुपात जौनपुर (1018) जिले का है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत (940) से कम है।

1.2 हिंसा का अर्थ

हिंसा शब्द किसी भी शारीरिक बल का अर्थ है जो व्यक्ति को किसी प्रकार से क्षति पहुँचता हो।

Oxford Dictionary Defines Violence: "Violence as behavior involving physical force intended to hurt, damage or kill someone or something"

ऑक्सफोर्ड डिशनरी के अनुसार: "हिंसा' अर्थात ऐसे व्यवहारों को शामिल करना जिसमे चोट पहुँचना, नुकसान करना या किसी को मरने के लिए शारीरिक दवाब बनाया जाता है "। [9]

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अन्य परिभाषा के अनुसार - "अपने या अन्य व्यक्ति या समूह और समुदाय के खिलाफ सोच – समझ कर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल या उसकी धमकी, जिसका परिणाम या संभावना, चोट पहुँचना, मृत्यु, विकास में रुकावट या वंचित होना हो। WHO के अनुसार चोट पहुँचना, मृत्यु, विकास में रुकावट या वंचित होना इन सब का विस्तृत चित्रण किया गया है। [10, 11, 12]

1.3 हिंसा के रूप

हिंसा के ये चार मुख्य स्वरूप हैं, जिसमे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, एवं सामाजिक हिंसा आता है। इन सब मे घरेलू हिंसा भी शामिल है तथा घरेलू हिंसा की विस्तृत विवेचना इस शोध पत्र मे किया गया है।

घरेलू हिंसा: घरेलू हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना की इस समाज मे महिलाओं का वजूद है। सदियों से महिलाओं को किसी न किसी किसी रूप मे इसका सामना करना पड़ा है। घरेलू हिंसा को अब और विस्तृत रूप मे परिभाषित किया जाता है, "ऐसे सभी कार्य जिसे शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक हिंसा आते हैं जो कि परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया हिंसा घरेलू हिंसा कहलाती है। [13] घरेलू हिंसा महिलाओं पर एक क्रूर अत्याचार है जो की घर के चहरदीवारी के बीच पुरुषों द्वारा अत्यधिक किया जाता है घरेलू हिंसा के ज़्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं जो घर के सदस्यों द्वारा उनके निवास स्थान पर ही किए जाते हैं। पहले के समय में हिंसा के नियम बहुत ही कठोर हुआ करते थे और पूरा समाज इसका समर्थन करता था। महिलाओं पर हिंसा के विरुद्ध कोई आवाज नही उठता था ना ही कोई कानून था परन्तु समय के साथ-साथ इनमे परिवर्तन हुआ। [14] घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण की अधिनियम की धारा '2005' मे घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, इसके अंतर्गत कई नियम बनाए गए हैं जिनका प्लान भी किया जाता है परन्तु अभी भी घरेलू हिंसा पर उचित रोक नहीं लग पाया है। महिलाओं का इस हिंसा के खिलाफ कठोर कदम ही इसके ओर अग्रसर करता है। [15]

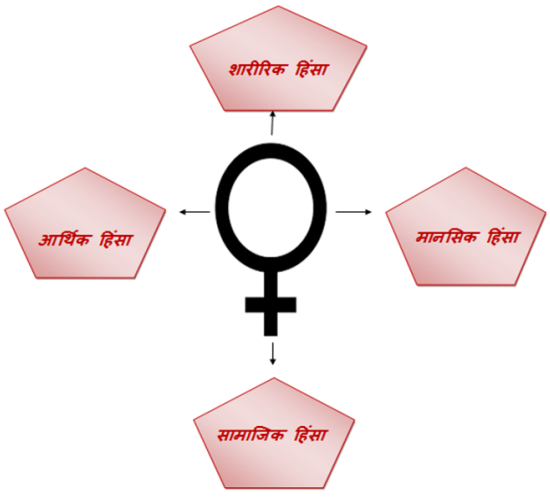

चित्र 1: हिंसा के रूप

मरियम बेब्स्टर डिशनरी के अनुसार: घरेलू हिंसा किसी परिवार या घर के सदस्य को शारीरिक क्षति पहुँचाना और इस व्यवहार को पुनः अभ्यस्त तरीके से उपयोग करना है।

पुलिस: 'महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध के श्रेणी मे आती हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों मे दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट प्रमुख है।

राष्ट्रीय महिला आयोग: "कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसे घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है।"

आधारशिला (एन.जी.ओ.) "परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।" [18]

1.4 घरेलू हिंसा की विशेषताएँ

1. घरेलू हिंसा घर की चहरदिवारों के बीच महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार है।
2. हिंसा से किसी भी तरह की क्षति पहुँच सकती है जिसमे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिंसा सम्मलित है जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान एवं उसके विश्वास पर भी छत पहुंचाता है।
3. महिलाओं पर घरेलू हिंसा पित्रात्मक नियंत्रण है जो व्यवस्थित एवं संरचनात्मक तरीके से पुरुष प्रधानता एवं महिला की कमजोरी को दर्शाता है। [19]
4. यह समाज की किसी भी रिश्ते में पुरुषो द्वारा महिलाओं पर अपने बल का प्रदर्शन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया हिंसात्मक एवं बलपूर्ण अव्यवहार घरेलू हिंसा को संदर्भित करता है।[21]
5. यह एक लिंग आधारित हिंसा है जो पुरुष एवं महिला के मध्य विषमता ओ दर्शाती है जिसमे पुरुष के समक्ष महिला की आधीनता एवं अमूल्यता स्थिर बन जाती है और हमेशा उनके बीच ऐसे ही रहती है जिससे उन दोनों के बीच कभी भी समानता एवं संतुलन का रिस्ता नहीं बन पाता। इसको ऐसे लिंग विशिष्ट अपराध के रूप मे देखा जाता है। [20]

पूरे विश्व समुदाय मे नारीवादी आंदोलन के फलस्वरूप घरेलू हिंसा एक चाइना बन गयी है वैवाहिक हिंसा के मामले केवल पति द्वारा अपने पत्नी पर किया गया हिंसा माना गया है। जबकि पारिवारिक हिंसा किसी स्त्री के उसके पति तथा उसके परिवार द्वारा किया गया हिंसा मे शामिल होता है।

1.5 घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाले दुर्व्यवहार

(i) शारीरिक दुर्व्यवहार

- मार-पीट करना।
- थप्पड़ मारना।
- दाँत काटना।
- ठोकर मारना
- शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचना इत्यादि।

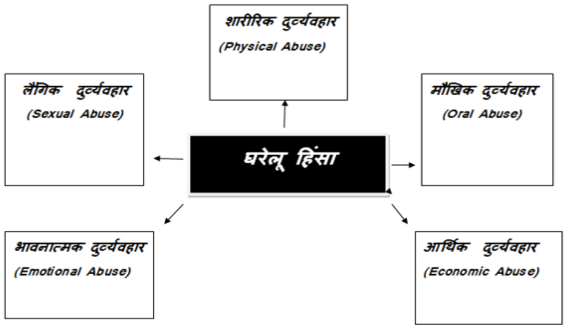

चित्र 2: घरेलू हिंसा के दुर्व्यवहार

(ii) लैंगिक दुर्व्यवहार
- बलात्कार
- अश्लील साहित्य या सामाग्री देखने के लिए मजबूर करना।
- महिला कर्मचारी के कपड़े व उसके शरीर पर टिप्पणी करना।
- अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार इत्यादि।

(iii) भावनात्मक दुर्व्यवहार
- दहेज के लिए प्रताड़ित करना।
- गलियाँ देना।
- चरित्र व आचरण पर आरोप लगाना।
- संतान मे लड़का यदि न हो तो ऊसके लिए महिला को अपमानित करना।
- स्वावलंबी होने से रोकना तथा उसको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना।
- आत्महत्या करने के लिए उकसाना।
- किसी व्यक्ति विशेष से विवाह करने के लिए दवाब बनाना इत्यादि ।

(iv) आर्थिक दुर्व्यवहार
- महिला के आय से सारा वेतन ले लेना।
- भौतिक जरूरतों से वंचित रखना।
- महिला के स्वस्थ्य संबंधी संसाधनों से वंचित रखना।
- अपने वेतन को स्वेछानुसार उपयोग करने से रोक लगाना।
- महिला को घर से बाहर निकाल देना इत्यादि । [22]

1.6 घरेलू हिंसा के कारण

सदियों से बनी धारणायेँ एवं मानसिकता चलती चली आ रही है यह घरेलू हिंसा सबसे बड़ा करण है, बहुत सी चीजें देश के आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक ढ़ाचे से उत्पन्न होती है। हमारी धार्मिक एवं सामंतवादी प्रवृत्तियों ने मनुष्य को हर क्षेत्र मे स्त्री से बड़ा बनाया है। स्त्रियों की ये मानसिकता बना दी गयी है कि उसे पुरुष के अधीन रहना है। [23] स्त्रियाँ विवाह के पहले अपने पिता तथा अपने भाई के अधीन रहती है ओर विवाह के बाद वो अपने पति के अधीन रहने लगती है, यह पितृसत्तात्मक समाज की देन है। महिलाओं को समाज मे निम्न स्तर की प्राणी माना जाता है उसके अधिकारों का हनन किया जाता है। इसलिए स्त्रियों को कमजोर तथा पुरुषों को साहसी माना जाता है। स्त्रियों को स्वातंत्र्य व्यक्तित्व को जीवन की आरंभ अवस्था मे ही कुचल दिया जाता है। [24]

घरेलू हिंसा के मुख्य कारण
- पुरुष प्रधान समाज
- समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव।
- महिला को स्वावलम्बी बनने से रोकना।
- शिक्षा आधारित लैंगिक विभेद।
- रूढ़िवादिता दृष्टिकोण।
- अधिकारों से वंचित। [25]

1.7 घरेलू हिंसा के दुष्प्रभाव

महिलाओं पर घरेलू हिंसा से शारीरिक, मानसिक, तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसके कारण महिलाओं के काम तथा निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है अथवा आत्मनिर्भर मे कमी आ जाती है। परिवार में आपसी रिश्तों और आस-पड़ोस के साथ रिश्तों व बच्चों पर भी इस हिंसा का सीधा दुष्प्रभाव देखा जा सकता है-
- घरेलू हिंसा के कारण दहेज मृत्यु, हत्या और आत्महत्या बढ़ती चली जा रही है।
- महिला की सामाजिक तथा पारिवारिक भागीदारी मे बाधा होती है। महिलाओं की कार्य क्षमता घटती जा रही है। परिणामस्वरूप प्रताड़ित महिला मानसिक रोग से ग्रसित हो जाती है।
- प्रतिवादी महिला की घर में द्वितीय श्रेणी की स्थिति स्थापित हो जाती है।

2. वर्तमान समय में राज्य महिला आयोग द्वारा वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग को प्राप्त शिकायतें/मामलों के श्रेणी-वार अवरोही क्रम मे वर्गिकरण से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 20.70% प्रचलित प्रकरण (Prevailing Exposure) से संबन्धित थीं जिनके बाद उत्पीड़न से संबन्धित 19.40% शिकायतें आयोग को दर्ज हुई थीं। दहेज उत्पीड़न से संबन्धित 11.90% थीं। अपोषणीय से संबन्धित 9.80% थीं। मार-पीट/लूटपाट से संबन्धित 8.10% थीं। घरेलू हिंसा से संबन्धित 4.50% थी। बलात्कार से संबन्धित 3.90% थीं। अश्लील हरकतें/छेड़छाड़ से संबन्धित 4.60% थीं। अपहरण से संबन्धित 3.30% मामले आयोग को दर्ज हुई थीं। राष्ट्रीय महिला आयोग [16] का उद्देश्य भारत मे महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दे एवं चिंताओं के लिए आवाज उठाता है। आयोग ने अपने अभियान मे प्रमुखता के साथ दहेज़, राजनीति, धर्म और नौकरियों मे महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण ओ शामिल किया है, साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली-गलौज को भी गंभीरता से लेता है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका अत्यंत सरहनीय रही है। [17] घरेलू हिंसा के अंतर्गत परिवार मे लैंगिक दुर्व्यवहार, दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न, पुरुष द्वारा अपने पत्नी को मारना पीटना, तथा वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यहार इत्यादि हिंसा आते हैं जिसके कारण महिलाओं को समाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार के अत्याचारी, उत्पीड़न, शोषण से रक्षा करने हेतु सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण-2005 कहा जाता है। जिसमे घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाली चीज़ों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

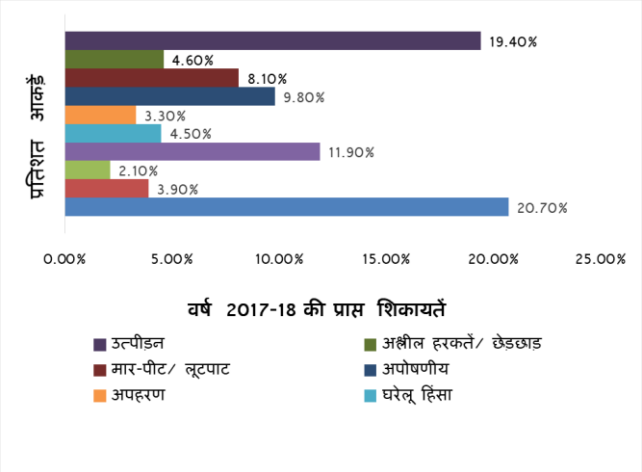

चित्र 3: राज्य महिला आयोग द्वारा वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट

3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

यह अधिनियम 13 सितम्बर 2005 को संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित किया तथा 26 अक्टूबर 2006 से क्रियान्वित हो गया है। इसका मुख्य उदेश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक आधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है जो पारिवारिक या घरेलू हिंसा की शिकार हैं। इस अधिनियम में 2005 में पाँच अध्याय एवं 37 धाराएँ हैं। [14] घरेलू हिंसा से पीड़िता को विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्ट्या मामला घरेलू हिंसा लगता है हो तो तब वह धारा-18 से 23 तक विभिन्न आदेश प्रदा कर सकेगा-

1. संरक्षण का आदेश (Protection Order) धारा-18 के अधीन।
2. निवास आदेश (Residence Order) धारा-19 के अधीन।
3. मौद्रिक आदेश (Monetary Order) धारा-20 के अधीन।
4. अभीरक्षा का आदेश (Custody Order) धारा- 21 के अधीन।
5. प्रतिकर आदेश (Compensation Order) धारा- 22 के अधीन। [14, 15]

3.1 अधिनियम के अंतर्गत आने वाली मुख्य धाराएं एवं उनकी परिभाषा

a) धारा-3: इस अधिनियम का उद्देश्य है कि प्रत्यर्थी का कोई ऐसा कार्य या आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर - मन को क्षतिग्रस्त करता है यदि

1. यदि किसी महिला की सुरक्षा, स्वस्थ्य जीवन, और मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, या ऐसा करने की कोशिश करता हो अथवा शारीरिक, आर्थिक, मौखिक, एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार भी इसमे सम्मिलित है।
2. ii. यदि किसी भी महिला से कोई गैरकानूनी माँग की जाये तथा इसके लिए उसे बार-बार प्रताड़ित किया जाये। जैसे - दहेज।
3. इन दोनों बिन्दुओं मे दिये गए- यदि किसी कारणो की वजह से प्रतिवादी महिला से संबन्धित किसी अन्य महिला को प्रताड़ित किया जाये।
4. यदि पीड़ित महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप क्षति पहुंचाई जाये।

b) धारा-4: घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। पीड़ित के रूप मे आप इस कानून के तहत 'संरक्षण अधिकारी' संपर्क का पहला बिन्दु है। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने मे मदद कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य मे 'संरक्षण अधिकारी' नियुक्त करती है। 'सेवा प्रदाता' एक ऐसा संगठन जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है। पीड़ित सेवा प्रदाता से, उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त कराने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकती है। भारत मे सभी पंजीकृत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का एक डेटाबेस यहाँ उपलब्ध है। सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता है। आप मजिस्ट्रेट- प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती हैं, किन्तु किस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है यह प्रतिवादी के निवास स्थान पर निर्भर करता है।

c) धारा-5: यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देना होगा कि

a. उसे संरक्षण आदेश पाने का
b. सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता
c. संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता
d. मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का
e. परिवाद-पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है पर संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्यवाही करने से यह प्रावधान नहीं रोकता है।

d) धारा-10: सेवा प्रदात्ता, जो नियमतः निबंधित हो, वह भी मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है।

1. अधिनियम मे घरेलू संबंध को धारा-12 मे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है-
2. पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे मे या मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई तिथि 3 दिन के अंदर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60 दिनों के अंदर होगा।
3. अधिनियम मे घरेलू संबंध को धारा-14 मे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है-
4. मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदात्ता से से परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा।

e) धारा-16: पक्षकार ऐसी इच्छा करें तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी। [16-17]

f) धारा-17 तथा 18: पीड़िता को और साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा।

g) धारा-20 तथा 22: वित्तीय असंतोष- पीड़िता या उसके संतान को घरेलू-हिंसा के बाद किए गए खर्च एवं हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निदेश दे सकेगा तथा भरण-पोषण का भी आदेश दे सकेगा एवं प्रतीकार आदेश भी दिया जा सकता है। [17]

h) धारा-21: अभिरक्षा आदेश संतान के संबंध मे दे सकेगा या संतान से भेंट करने का भी आदेश मजिस्ट्रेट दे सकेगा।

i) धारा-24: पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क न्यायालय द्वारा दिया जाएगा।

4.घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2006

4. 1 नियम 9: आपातकालीन मामलों मे पुलिस की सेवा की माँग संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा की जा सकती है।

4.2 नियम 13: परामर्शदाताओं की नियुक्ति संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूची मे से की जाए। [18]

4.3 न्यायपालिका की नई पहल: तीन तलाक: केंद्र सरकार ने हाल ही मे देश के सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह जैसी प्रथाओं से मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और उनकी गरिमा को ठेंस पहुँचती है। [17] साथ ही उन्हे मौलिक अधिकार भी नही मिल पाते जिसे हमारा संविधान हमारे लिए लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपना लिखित मत देने से पहले सरकार ने कहा कि ये सभी प्रथायेँ मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलने से रोकती है। तीन तलाक से जुड़ा भारतीय न्यायपालिका का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैर संवैधानिक करार दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए पांच जजों कि एक बेंच बनाई है जो केस कि सुनवाई करेगी और तीन तलाक की संवैधानिक वैधता का निरिक्षण करेगी। [18] अगस्त 2017 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक पर अपना फैसला सुनाया। इस केस की सुनवाई करते हुए पाँच जजों की बेच बनाई गयी, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक का असंवैधानिक घोषित कर दिया है। [21] इस फैसला पर पाँच जजों की बेंच में से तीन जजों ने इसका समर्थन किया जबकि अन्य दो जजों ने इस फैसला का समर्थन नहीं किया। इस तरह आज से मुस्लिम लोगों मे कई सालों से चली आ रही इस प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहर लगा दी गई, और इसे अब पूरी तरह से गैर कानूनी हो गया है। [22-23]

5. निष्कर्ष

यह शोध पत्र हिंसा के विभिन्न रूपों को रेखांकित करता है जिसमे हिंसा के चारो रूपों को क्रमिक रूप से बताया गया है हालाँकि हिंसा अपने आप मे एक व्यापक विषय है जिसे एक सीमित शोध पत्र में विस्तृत रूप से बताना एक जटिल कार्य है अतएव घरेलू हिंसा को मुख्य विषय मानकर इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत रूप से बताया गया है। संक्षिप्त रूप से यह शोध पत्र एक प्रकार से पुनर्निरिक्षण पत्र है जो घरेलू हिंसा से संबन्धित है हालाँकि घरेलू हिंसा के ऊपर भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए क्रमिक रूप से विभिन्न अधिनियम पारित किये गए हैं जिसमे "घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005" लागू हुआ अधिनियम संशोधित एवं पुनिरिक्षित है इस शोध पत्र मे अधिनियम के तहत लागू हुई धाराएँ तथा नियमों एवं विषयवस्तु की एक चर्चा की गई है। हइसके अतिरिक्त महिला आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 मे दी गई नवीनतम रिपोर्ट के आकड़ों को दर्शाया गया है और महिला आयोग के सामाजिक उत्थान बताए गए। इस शोध पत्र के अंत मे वर्तमान भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक उत्थान हेतु किये गए कार्य अथवा नई पहल जिसमे तीन तलाक सम्मलित है, को भी संज्ञान मे लिया गया।

6. संदर्भ सूची

1. Kumaran A, Roja K. A Critical Study on Domestic Violence Act on Female Victims In India", International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2018; 120(5):793-802.
2. आशारनी व्होरा. 'भारतीय समाज मे स्त्री', नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पेज नं 40। वही, 2005, 23.
3. अंजली. भारत में महिला अपराध', राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, पेज नं-72।
4. द्विवेदी, राकेश (2005), महिला सशक्तिकरण : चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ', पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल, पेज नं- 49,120-121।
5. सिंह, मीनाक्षी निशांत, "महिला सशक्तिकरण का सच" "महिला शिक्षा का सच" प्रदेश का 'घरों मे पलती हिंसा' ओमेगा पब्लिकेशन, ISBN No. 9788189612313,पेज नं-108-111.
6. Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002. World Health Organization. 2004.
7. Krug *et al.,* (2002) "World report on violence and health", विश्व स्वास्थ्य संगठन
8. सिंह, वी. एन., सिंह, जनमेजय, "आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण", "घरेलू हिंसा एवं महिला जगत" रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, बैंगलोर, पेज नं. 220-221, 2015
9. शर्मा, पी. डी. "महिला सशक्तिकरण और नारिवाद" विवाह और परिवार की संस्थाओं का नारीवाद विरोध" रावत पब्लिकेशन, ISBN NO. 9788131608913। पेज नं. 123, 125।
10. आहूजा, राम, रावत प्रेम, "सामाजिक समस्याएँ", "महिला के विरुद्ध हिंसा", तृतीय संस्करण 2016, रावत पब्लिकेशन, ISBN NO. 9788131607718, पेज नं. - 222-234
11. Narwadkar, Dr. Pooja P., Law Relating to Domestic Violence in India, 1st Ed. 2014, Hind Law House, Pg. No 29
12. Jaising Indira "Domestic Violence & Law" 1 Journal of NHRC, 2002. 73.
13. Shankaran M.V., 'Intra-Family Violence & Law' 13 Indian Bar Review, 1986,86.
14. सिंह, वी. एन, सिंह जनमेजय, "आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण", घरेलू हिंसा और महिला जगत" रावत पब्लिकेशन, पेज नं. 220,221,222,223।
15. शर्मा, जी. यल, "सामाजिक मुद्दे", "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम", 2005, रावत पब्लिकेशन 2015, जयपुर, नई दिल्ली, बैंगलोर, भाग-1, ISBN NO. 9788131606940। पेज नं. 430, 431, 432,
16. आहूजा, राम (1987), भारतीय सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, जयपुर. पेज नं – 238
17. खंडेला, मांचन्द्र, 'आधुनिता और महिला उत्पीड़न', प्रथम संस्करण, पोइंटर कम्प्यूटर्श, जयपुर 302017(राज.) पेज नं – 19,22,25,26,27।
18. सिंह, मीनाक्षी निशांत, "महिला सशक्तिकरण का सच" "महिला शिक्षा का सच" 'घरों मे पलती हिंसा' ओमेगा। पेज नं- 28,108,109,110
19. खंडेला, मांचन्द्र, 'आधुनिता और महिला उत्पीड़न', प्रथम संस्करण, पोइंटर कम्प्यूटर्श, जयपुर 302017(राज.) पेज नं – 19,22,25,26,27।
20. "Triple Talaq verdict: What exactly is instant divorce practice banned by court?". Hindustan Times. 2017-08-22. Retrieved 2017-09-18.
21. Mohammed Siddique Patel. "The different methods of Islamic separation – Part 2: The different types of Talaq". www.familylaw.co.uk. Retrieved 2017-05-29.
22. "Hanafi jurisprudence sanctions triple talaq" "Supreme Court scraps instant triple talaq: Here's what you should know about the practice". Hindustan Times. 2017-08-22. Retrieved 2017-09-18.